



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 48]  
No. 48]

नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 2, 1989/ अग्रहायण 11, 1911  
NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 2, 1989/AGRAHAYANA 11, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as  
a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर)  
केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक  
नियम, जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं।  
General Statutory Rules including Orders, By-laws etc. of a general  
Character issued by the Ministries of the Government of India (other  
than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities  
(other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

(उत्तर क्षेत्रीय परिषद् सचिवालय)

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 1989

सा. का. नि. 883 :—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए क्षेत्रीय परिषद् (श्रेणी 3, और श्रेणी 4 पद) भर्ती नियमावली, 1961 के अधिकरण में (ऐसे अधिकरण-पूर्व-रूत कार्यवाही को छोड़कर) राष्ट्रपति इसके द्वारा उत्तरी क्षेत्रीय परिषद् सचिवालय में समूह ग और घ पदों की भर्ती की विधि के विनियमन के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामतः:

- (1) संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ: 1. ये नियम उत्तर क्षेत्रीय परिषद् सचिवालय (समूह ग और समूह घ पद) भर्ती नियम, 1989 कहे जायेंगे।  
2. ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- (2) उपायोजन—ये नियम संलग्न अनुसूची में उल्लिखित पदों पर लागू होंगे।
- (3) पदों की संख्या, वर्गीकरण और चेतनमान :—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके सम्बद्ध चेतनमान बढ़ी होगा जो इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के स्तम्भ 3 से 5 में विनिर्दिष्ट किया गया है।
- (4) भर्ती की विधि, आयु-सीमा और अर्हताएं और इनके संबंधित अन्य बातें वहीं होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 6 से 15 तक विनिर्दिष्ट हैं।
- (5) निरर्थकताएँ : कोई भी व्यक्ति—
- (क) जिसमें ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह का बगार किया है अथवा

(2943)

- (2) अधिसूचना सं. एफ. 9-13/73-यू 2 दिनांक 16-8-1973
- (3) अधिसूचना सं. एफ. 9-66/74-यू 2 दिनांक 2-11-1974
- (4) अधिसूचना सं. एफ. 9-11/73-यू 2 दिनांक 10-9-1975
- (5) अधिसूचना सं. एफ. 16-29/75-यू. 2 दिनांक 8-1-1976
- (6) अधिसूचना सं. एफ. 7-19/77 एल.यू. (यू-2) दिनांक 10-9-75 और
- (7) अधिसूचना सं. एफ. 10-54/79-डेस्क(यू) दिनांक 20-11-1979

G.S.R. 888.—In exercise of the powers conferred by section 25 of the University Grants Commission Act 1956 (3 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the University Grants Commission (Disqualification, Retirement and Conditions of Service of Members) Rules, 1956, namely :—

1. (1) These rules may be called the University Grants Commission (Disqualification, Retirement and Conditions of Service of Members) Amendment Rules, 1989.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st January, 1981.

2. In the University Grants Commission (Disqualification, Retirement and Conditions of Service of Members) Rules, 1956, for sub-clause (d) of clause (VI) of rule 5, the following sub-clause shall be substituted, namely :—

“(d) Chairman and Vice-Chairman shall be entitled to payment of cash equivalent of leave salary and dearness allowance in respect of the period of earned leave lying at their credit at the time they vacate their respective offices. The payment of cash equivalent of leave salary shall be limited to a maximum of 180 days earned leave”.

[No. F. 10-87/88-Desk(u)]  
S. G. MANKAD, Jt. Secy.

Note :—The principal rules were published vide notification No. F. 24-24-18/56-A-1, dated the 1st November, 1956 and was subsequently amended vide notifications :—

- (1) Notification No. F. 9-60/76-U2 dated 15-1-1973,
- (2) Notification No. F. 913/73-U2 dated 16-8-1973.
- (3) Notification No. F. 9-66/74-U2 dated 2-11-1974,
- (4) Notification No. F. 911/73-U2 dated 10-9-1975,
- (5) Notification No. F. 16-29/75-Leg. Unified dated 8-1-1976,
- (6) Notification No. F. 7-19/77-LU(U2) dt. 10-9-1975 and
- (7) Notification No. F. 1054/79-Desk(U) dated 20-11-1979.

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 1989

सा. का.नि. 889.—भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड

(i) तारीख 13-6-1987 के पृष्ठ 1494 से 1498 पर प्रकाशित भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) की अधिसूचना सं. 449 तारीख 25 मई, 1987 में, -

(i) पृष्ठ 1495 पर स्तंभ 7 में बांछनीय शब्द के नीचे “किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान या इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी में डिग्री या समतुल्य” शब्दों के स्थान पर “किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान में डिग्री या इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा या समतुल्य” शब्द पढ़ें।

(ii) पृष्ठ 1495 पर स्तंभ ii के नीचे मद (ख) में “s” अंक के स्थान पर “7” पढ़ें।

[सं. ए-32012/11/82-ई. [IV]

चरण दास, अवर सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY  
(Department of Industrial Development)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 7th November, 1989

G.S.R. 889.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. GSR 449, dated the 25th May, 1987, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (i), dated 13-6-1987 at pages 1494 to 1498,—

(i) at page 1497, in Column 7, under the word Desirable for the entry :—

“Degree in Science or Engineering/Technology of a recognised University or equivalent.” ;

read

“Degree in Science or Diploma in Engineering/Technology of a recognised University or equivalent”.

(ii) at page 1498 under Column 11 at the end of (b), for the figure “8”, read “7”.

[No. A-32012/11/82-E. IV]

CHARAN DASS, Under Secy.

( कर्तवी कार्य विभाग )

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 1989

सा. का.नि. 890 भारत सरकार, कंपनी कार्य विभाग की 18 अक्टूबर, 1972 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 443(म) के साथ पंजित कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 591 की उपधारा (i) के अंतर्गत द्वारा प्रदत्त प्रावियों का प्रयोग करने हुए तथा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (कंपनी वित्त प्रशासन विभाग) दिनांक 4 अक्टूबर 1987 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 3216 (जिसे जिसमें इनके बाद अधिसूचना कहा गया है) में बांछनीय उपांतरण करने हुए कंपनी अधिनियम 1956 द्वारा यह निर्देश देना है कि मेमबर साहभाजारी इन्वोल्वमेंट (जिसे इसमें स्थित बाद कंपनी कहा गया है) के मामले में यह एक विदेशी कंपनी होने पर उक्त धारा 591 की उपधारा (4) के खंड (क) की उपधारा (i) में कि वे किसी विदेशी कंपनी पर लागू होने के संबंध में अधिसूचना द्वारा उपांतरित की गई है, निम्नलिखित अपवादों तथा उपांतरों के अन्तर्गत होने हुए लागू होगी, अर्थात् :—

यदि कंपनी 31-3-89 को समाप्त दिनांक वर्षों की वास्तविक अर्थों भारतीय व्यापार लेखाओं के संबंध में भारत में समुचित कंपनी रजिस्ट्रारों को निम्नलिखित की तंत प्रतियां प्रस्तुत करें तो उक्त धारा 591 की उपधारा (1) के खंड (क) के उपबंधों का पालन अनुपालन द्वारा समझा जायेगा :—

(i) भारतीय शाखा द्वारा प्राप्त प्रावियों तथा निम्न गये शुभभाषों का विवरण पत्र जिसका प्रमाणिकरण (i) अधिनियम की धारा 592 की उपधारा (i) के खंड (द) के अंतर्गत भारत में आदेशिका की सेवा स्वीकार करने के लिये प्राधिकृत निर्मा अधिन, तथा (2) भारत में कार्यका शाखाप्राप्त लेखापत्र द्वारा किया गया है।

(ii) उपर्युक्त मद (i) में दणित अधिनियम में यथा निर्दिष्ट रूप में प्रमाणित भारत में कंपनी की परिस्थितियों तथा देवताओं का विवरण, तथा

(iii) उपर्युक्त मद (i) में दणित अधिनियमों द्वारा विवरित हस्ताक्षरित उक्त आशय का प्रमाणित कि कंपनी; से 31-3-89 को समाप्त वर्षों के दौरान भारत में कोई व्यापार नहीं किया।